मूल्य 1 रूपया

कृषक समाचार

भारत कृषक समाज का मासिक मुख पत्र

कृषक समाचार की 32,000 प्रतियां सन् 1960 से हर महीने छापकर सदस्यों को भेजी जाती हैं

वर्ष 64 | अक्टूबर, 2019 | अंक 10 | कुल पृष्ठ 8

सभापति का पत्र :

वर्तमान में, बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए मुख्य रूप से संसाधनों का चैनलकरण किया जा रहा है, जो जमीन पर भौतिक प्रगति दिखाने के लिए उत्सुक राजनेताओं के लिए कहीं अधिक आकर्षक प्रस्ताव है। नौकरशाहों, और सेवानिवृत्त टेक्नोक्रेट्स ने सलाहकारों को एक मानक माप मैट्रिक्स के आधार पर भौतिक परिसंपत्तियों के निर्माण पर धन की तैनाती को सही ठहराया जा सकता है और यह मोटी फीस प्राप्त करने के लिए भी जगह देता है। ठेकेदारों और फाइनेंसरों के लिए इसका आसान पैसा जो अगली पीढ़ी को ब्याज के साथ चुकाना है। ऐसा लगता है कि निहित स्वार्थों ने इस प्रणाली को लागू करने की तुलना में नए खाद्य प्रणाली के दृष्टिकोण को आसान बना दिया है। यह होना जरूरी नहीं है, बहुपक्षीय वित्तपोषण प्रक्षेपवक्र को बदल सकता है या अंत के बिना एक रात होगी। यह होना जरूरी नहीं है। सार्वजनिक नीति और धन का आवंटन महत्वूपर्ण भूमिका निभा सकता है और यह बदल सकता है कि किसान और राष्ट्र कैसे आगे बढ़ते हैं।

पीमए ने खेत पर रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए अपील की है, लेकिन स्थापना पीएम के शब्दों को लिप सेवा देती रहेगी और एक सफल परिवर्तन का निर्माण करेगी, संबंधित मुद्दे एक अस्तित्वगत संकट पैदा करते हैं। भारत में 100 मिलियन से अधिक भूमि विभिन्न तरीकों से गंभीर गिरावट की प्रक्रिया में है।

1950 के बाद से उष्णकटिबंधीय में स्थित, भारत ने चरम मौसम की घटनाओं में कई गुना वशद्धि देखी है और उत्पादन परिवर्तनशीलता से अधिक गंभीर रूप से प्रभावित होगा। मिट्टी को 100 गुना तेजी से खो दिया जा रहा है जिससे वे बन सकते हैं और उच्च तापमान कीटों और बीमारियों को बढ़ाते हैं जो उत्पादन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। इनसे खेत में अधिक रसायनों के उपयोग की आवश्यकता होगी। हितधारकों की सक्रिय भागीदारी और स्वदेशी और स्थानीय ज्ञान की सहायता के बिना हम इन मुद्दों का समाधान नहीं कर सकते हैं।

इसके लिए विभिन्न प्रकार के फसल रोपण प्रथाओं, मशीनीकरण के विभिन्न रूपों, वस्तुओं के एकत्रीकरण और वितरण की आवश्यकता होती है। यह निश्चित रूप से आसान नहीं है और नीति निर्माताओं का विश्वास उन्हें विश्वास करने से हतोत्साहित करता है कि यह व्यावहारिक रूप से संभव है। न तो एक समाज के रूप में हम अभी तक जीवनशैली के व्यापार के लिए प्रतिबद्ध हैं और अधिक महत्त्वपूर्ण रूप से कॉर्पोरेट को यथास्थिति को बदलने में मुश्किल होगी।

– अजय वीर जाखड़
अध्यक्ष, भारत कृषक समाज
@ajayvirjakhar

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

भारतीय कृषि और सरकार की भूमिका

पृष्ठभूमि

अर्थव्यवस्था के कई घटक होते हैं और कई मिश्रित पहलुओं के आधार पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में कुछ त्रुटियां और समस्याएं हर तरफ होती हैं और प्रत्येक घटक विभिन्न प्रकार से प्रभावित होता है। जब हम किसी एक क्षेत्र में कोई एक समस्या देखते हैं तो यह मान लें कि वह प्राकृतिक है और समस्या कहां है, किंतु ऐसा नहीं हो पाता है। मुख्य समस्या कहीं और है और हमारे समक्ष केवल उसके लक्षण ही दिखाई पड़ते हैं।

कृषि की यही कहानी है। कई वर्षों से न तो निवेशकों और न ही नौकरी की तलाश करने वालों के लिए कृषि एक आकर्षित क्षेत्र रहा है। किसानों के बच्चे शहरों में रहना पसंद करते हैं और जहां तक कि वे अच्छी आय और बेहतर रहन–सहन स्तर की तलाश में उन स्थितियों में रहने पर भी राजी हो जाते हैं जो आम आदमी के बिल्कुल अनुकूल नहीं होती। दूसरी ओर खाद्य और अन्य कृषि वस्तुओं के मूल्यों में पिछले एक दशक से मुद्रा स्फीति देखी जा रही है।

अन्य शब्दों में, यदि कृषि क्षेत्र में समस्या है तो यह केवल कृषि क्षेत्र को ही प्रभावित नहीं करेगी बल्कि शहरवासियों और पूरे देश को भी प्रभावित करती है। इतना होने पर भी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को कई विशेषज्ञ परामर्श देते हैं कि यदि कृषि में सुधार करना है तो ग्रामीण भारत की समस्याओं को दूर करना होगा।

किंतु मैं कुछ अलग प्रश्न पूछता हूँ और मुझे उत्तर अलग ही मिलता है और बहुत से लोग भी आपको वही उत्तर देंगे। कई सदियों से क षि क्षेत्र ने अधिक उत्पादन और पर्याप्त वृद्धि की है और जहां तक कि भारतीय सभ्यता का पुनर्गठन भी हुआ है।

गांववासियों के लिए समृद्धता अनजान नहीं है – जब शासक गांव वालों को आर्थिक सहायता और आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के स्थान पर उन पर भारी लगान लगाते थे।

कृषि को कौन सी स्थिति समृद्धता से अलग करती है ? यदि गांव में कई समस्याएं हैं तो गांववासियों को उनका समाधान करने से कौन रोकता है ? क्या किसान कम कारोबार जानते हैं ? क्या वे कम सक्षम हैं ? क्या वे एक नगर में रहने वाले सेठ से कम कारोबार करना जानते हैं ? क्या वे कमजोर हैं ?

मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि इनमें से वे किसी से कम नहीं। किसान सक्षम, व्यापारी और उतना ही नई शुरूआत करने वाला है जितना कोई अन्य। स्पष्ट रूप में कृषि की समस्या को गांव में ही ठीक नहीं किया जा सकता बल्कि समस्या का कारण कहीं और है, जिस पर किसान का नियंत्रण नहीं है। एक मुख्या समस्या। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला बड़ा देश है और कृषि क्षेत्र भी उससे कम नहीं है। व्यापक शब्दों में न बोलकर एक ही वस्तु पर वार्तालाप करें। इस क्षेत्र में अन्य उत्पादों की तुलना में अलग समस्याएं हो सकती हैं, किंतु प्रमुख संदेश को समझने में यह सहायक होगी।

फल और सब्जियों का उदाहरण लें। यह एक ऐसा उत्पाद है जो अधिक लाभ और आय किसानों को दे सकता है यदि वे उचित प्रकार से शहर के बाजारों में पहुंच सकें। वास्तविकता यह है कि शहरी लोग पिछले एक दशक से खाद्य मुद्रा स्फीति की मार झेल रहे हैं क्योंकि हमारी व्यवस्था में कई खामियां हैं और कुछ घटक सही ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं।

एक टिपिकल विशेषज्ञ को कहेगा कि हमें अधिक शीत–भंडार, अच्छे गोदाम बनाने होंगे ताकि शहरी मंडियों को किसानों को लाभ मिल सके, और वह ठीक होगा। किंतु मैं एक मूल प्रश्न पूछता हूँ कि यदि इन क्षेत्रों में समस्याएं हैं तो इन्हें किसी ने पहले दूर क्यों नहीं किया ? इन शीतभंडारों, गोदामों का व्यापक निर्माण नहीं किया गया क्योंकि यह गंभीर समस्या नहीं है, यदि आज भी हम देश भर में शीतभंडार बना दें तो भी उच्च उपभोक्ता मुद्रा स्फीति और किसानों को कम मूल्य की समस्या का समाधान नहीं होगा।

किंतु जब एक बार संवेदनशील समस्या का समाधान हो जाए तो किसान स्वयं या उसका पड़ोसी या कोई कंपनी इन गोदामों और शीत भंडारों का निर्माण करेगी तो ही वे उम्मीद करेंगे कि इसकी व्यापक मांग होगी और इसमें से अधिक लाभ अर्जित किया जा सकता है। अगली समस्याएं कानून से संबंधित हैं। कानूनी विशेषज्ञ कहेंगे कि आंतरिक व्यापार को प्रभावित करने वाले कानून बदलने या अनिवार्य जिंस अधिनियम को हटाने अथवा इसे इसका क्षेत्र कम करने, कृषि उपज विपणन समिति अधिनियम में विचारणीय परिवर्तन आदि करने की आवश्यकता है। और वे सही हो सकते हैं ये सब कार्य हमें खाद्य आंतरिक व्यापार में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण है।

यदि मूल समस्या के ये प्रमुख कारण हैं तो क्या इन हानिकारक अधिनियमों से छुटकारा पाने के लिए क्या किसानों का मजबूत संगठन नहीं होगा ? यह सही है कि इन कानूनों में सुधार करने से कृषि अर्थव्यवस्था के संचालन में सुचारूता आएगी किंतु संवेदनशील समस्या कहीं और है।

अन्य शब्दों में, शीतभंडारों का निर्माण तथा कानून और विनियमों में सुधार, समस्या का समाधान नहीं है। यदि ऐसा होता तो गांववासी बहुत पहले इसका समाधान कर चुके होते। फल एवं सब्जियों की मुद्रा–स्फीति की प्रमुख समस्या शहरी भारत में है, जहां किसानों की पहुंच नहीं है।

ग्रामीण समस्याएं शहरी भारत में हैं

शहरों में पहुंचते ही कुछ घंटों में फल एवं सब्जियों के आधे से अधिक मूल्य में वृद्धि हो जाती है। यह समय होता है जब ट्रक से मंडी में प्रातः चार बजे टोकरियां उतारी जाती हैं और प्रातः 11:00 बजे ही गलियों में बेची जाती हैं। इस समय में लागत 1 रू. से बढ़कर 2 रू. से 2.5 रू. तक हो जाती है।

प्रदूषित वायु, गंदे पानी से धोने, धूप में रखने और सड़ने तथा उच्च तापमान के कारण देश के सभी भागों में इन कुछ घंटों में ही माल की गुणवत्ता में कमी आती है। इस कार्य की यही विवशता और बर्बाद होने का कारण है।

अन्य शब्दों में जब इनका मूल्य 100 प्रतिशत या अधिक बढ़ता है तो दूसरी तरफ इसकी गुणवत्ता खराब, बासी, वातावरण का प्रभाव इसके स्वाद और पौष्टिकता को कई गुणा प्रभावित करता है। पूरे विश्व में शायद यही ऐसे उत्पादन हैं जिनके मूल्यों में तो कई गुणा वृद्धि होती है किंतु उनकी गुणवत्ता कई गुणा कम हो जाती है।

कई लोग कहते हैं कि बिचौलिए और व्यापारी किसानों का शोषण करते हैं जो कुछ घंटों में ही अपने पैसों पर 100 प्रतिशत से अधिक लाभ कमा लेते हैं। कुछ विशेषज्ञ परामर्श देते हैं कि हमें बड़ी–बड़ी ऐसी कंपनियों की आवश्यकता है जो कम शोषण करें। कुछ पुराने विशेषज्ञ यही कहते हैं कि व्यापारियों पर व्यापक नियंत्रण रखा जाए ताकि वे शहरी उपभोक्ताओं से कम पैसा लें। किंतु मैं इनमें से किसी समाधान पर सहमत नहीं हूँ।

फल एवं सब्जियों का शहरी व्यापार

मैं दो प्रश्न पूछता हूँ और उनके उत्तर देता हूँ – सबसे पहले कम महत्वपूर्ण और अधिक महत्वपूर्ण। पहला, लक्ष्य क्या है – शहरी उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर वस्तुएं या किसानों को अधिक लाभ ? और हमें इसे सही करने के लिए क्या करना चाहिए ? कुछ व्यक्ति राजनैतिक उत्तर देकर अनाप–शनाप बातें करते हैं – जैसे कहते हैं कि दोनों के लिए।

मैं कहना चाहता हूँ न तो किसान न ही उपभोक्ता को लाभ दिया जाए। हमें कारोबार में बाधाओं को पहचानकर उन्हें दूर करना चाहिए, यदि ऐसा हुआ तो उपभोक्ता और उत्पादक दोनों को लाभ मिलेगा। आज उपभोक्ता को अधिक मूल्य इसलिए देना पड़ता है कि उत्पादक

प्रभावित होते हैं, यदि उत्पादकों को अच्छा आर्थिक प्रबंधन मिले तो उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता की वस्तुएं सस्ती मिल सकती हैं। हमें इस पद्धति को संवारने की आवश्यकता है जिससे उत्पादक और उपभोक्ताओं के कार्यों का संचालन होता रहे – अन्य शब्दों में – व्यापार।

दूसरा, सहकारी संस्थाऐं भी इसका समाधान नहीं है। विक्रेता और खरीद करने वाली सहकारी समितियाँ कुछ सीमा तक स्थिति सुधार सकती हैं किंतु समस्या का समाधान नहीं कर सकती हैं। कारण वही हैं किंतु इससे कुछ अलग भी हो सकते हैं। सहकारिता कार्यों के लिए एक उच्च स्तर का समन्वय आवश्यक है। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में उत्पादों की गुणवत्ता और मूल्य घंटे दर घंटे बदलें तो सहकारी कार्य एक कठोर कार्यवाही शायद ही कर पाए।

तथ्य यह है कि कार्पोरेट या सहकारी संस्थाऐं प्रमुख उत्तर नहीं है, इसका अर्थ यह नहीं कि हम उन्हें अनुमति न दें किंतु हमे केवल उन पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो उत्तर कहाँ है ? इसका उत्तर फल एवं सब्जियों के व्यापारियों की शहरों में उपस्थिति और रेहड़ी वालों, पटरी वालों तथा लघु कालिक रूप से बेचने वाले और उनकी आपूर्तिकारों के बीच में ही है।

यह तभी सम्भव होगा जब नगर निगम के कानून ठीक किए जाएं, शहरी सुविधाऐं लचीली हों तथा शहरी सार्वजनिक स्थानों में या आस पास इन विक्रेताओं को स्थान दिया जाए, प्रमुख मंडियों और आवासिय क्षेत्रों के आस पास माइक्रोकोल्ड भंडारण सुविधा दी जाये, पुलिस और नगर निगम के इंस्पेक्टरों आदि से आने वाली समस्याओं के निवारण का उपाय होना चाहिए। क्या यह किया जा सकता है और कौन करेगा ? इसमें कितना समय लगेगा ? इसमें कितना पैसा खर्च होगा ?

यह किया जा सकता है और सरकार के सभी विभागों के द्वारा भी किया जा सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिये सलाहकार ऐजंसी के माध्यम से निर्देश देना होगा, राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय दिशा निर्देशों की सूचना निम्न स्तर पर कार्य करने वालों और मानीटरिंग करने वालों को देनी होगी, और शहरों में स्थानीय नगर निकायों की कारगर भागीदारी उपलब्ध करानी होगी।

इस कार्यों को वहां तक किया जा सकता है जहाँ तक हम चाहें किंतु इसे नगरों में लागू करना होगा। किंतु इस प्रकार के निर्देशों का सामान्य प्रचार करने से व्यापारी और उपभोक्ता दोनों पर दबाव बढ़ेगा जिससे सही दिशा में जाने की सहायता मिलेगी और कोई भी इसके विरूद्ध कार्य नहीं करेगा।

शायद इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि इसमें कोई लागत नहीं आएगी।

इस प्रकार के वातावरण से जोखिम और अनिश्चितता में कमी आएगी साथ ही भ्रष्टाचार और कारोबार में आने वाले अन्य खर्चे में भी कमी आएगी। इस साधारण व्यापारिक वातावरण से

व्यापारियों में एक अच्छी प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी। उपभोक्ता और किसान दोनों को ही लाभ मिलेगा (लाभ की मात्रा निश्चित रूप से वस्तु और उसके क्षेत्र पर निर्भर करेगी)।

कुछ उदाहरणों को छोड़ दिया जाए तो फल एवं सब्जियों के कारोबार की तकनीक लगभग वही है, जो स्वतंत्रता से पहले थी। एक बार ऐसी बाधाओं को हटा दिया जाए तो कृषि क्षेत्र में स्वत: ही निवेश बढ़ जाएगा चाहे बहुराष्ट्रीय कम्पिनियाँ, या सहकारी संस्थाऐं अथवा बड़े व्यापारी या छोटे रेहड़ी वाले पैसा लगाऐं।

निष्कर्ष

शहरी व्यापार के लिए वातावरण सुधारना ही किसानों की समस्या का प्रमुख समाधान है। यह किसानों को कैसे जोड़ेगा ? कड़ी प्रतिस्पर्धा और स्वस्थ आर्थिक वातावरण से व्यापारिक पद्धति के माध्यम से किसानों और उपभोक्ताओं के बीच सीधा सम्पर्क बनेगा – वर्तमान में इस सम्पर्क में बाधायें हैं। इन बाधाओं के कारण ही कई अनौपचारिक या गैर संगठित क्षेत्र कार्य कर रहे हैं। ऐसा कोई कारण नहीं है कि रेहड़ी वाला या पटरी वाला फारमल सेक्टर में कार्य नहीं कर सकता है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब शहरी मांग में सुधार करने पर किसानों को सीधे लाभ मिलेगा तो वे अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रेरित होंगे। शहरी क्षेत्रों के लोगों के साथ काम करने के लिए गाँववासियों के लिए कानून द्वारा आने वाली बाधाओं की सरलता से पहचान की जा सकती है। सुधारों से इस क्षेत्र में बेहतर परिणाम आएंगे। इसी कारण जब ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक माल जाएगा तो शीतभंडार और ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं को लाभ पहुँचेगा और उन्हें न तो सरकार की आर्थिक सहायता पर न ही सार्वजनिक क्षेत्र पर निर्भर रहना पड़ेगा।

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

शासन (संचालन) और कृषि वृद्धि – संस्थाओं, मूलभूत सुविधाओं और मंडियों को सशक्त करना

'ढांचागत सुधार और संचालन की रूपरेखा' के संबंध में किसानों की आय दोगुनी करने पर कृषि एवम् किसान कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट, खंड XIII में संस्थाओं, मूलभूत सुविधाओं और मंडियों को सशक्त करने पर ध्यान दिया गया है, जो कृषि वृद्धि को संचलित करती हैं। जनवरी, 2018 में जारी कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग की किसानों की आय दोगुनी करने पर समिति द्वारा तैयार दस्तावेज में किसानों की दशा पर कुछ स्पष्ट बातें कही गई हैं। वास्तव में इस रिपोर्ट में समस्याओं का समाधान नहीं बताया गया है, बल्कि समस्याओं को उजागर करके कुछ उपाय सुझाऐ गऐ हैं।

किसानों की आय दोगुनी करने की समिति के अध्यक्ष श्री अशोक दलवाई का कहना है कि, संपूर्ण रिपोर्ट में 14 खंड हैं और उत्पादन के बाद किऐ जाने वाले हस्तक्षेपों और उपायों को शामिल किया गया है, जैसे कृषि लौजिस्टिक, खंड 3 और कृषि विपणन, खंड 4 एवम् इसके साथ उत्पादन संबंधी स्थाई अंक, खंड 5 और 6। अन्य सभी खंडों में किसानों को स्रोत्र और तकनीकी एवम् ज्ञान उपलब्ध कराने पर बल दिया गया है, तथा विस्तार कार्य एवम् आईसीटी खंड 11 जिनके लिऐ विशेष तर्क प्रस्तुत किऐ गऐ हैं।

इस रिपोर्ट में कृषि और भारत के 141 मिलियन हैक्टेयर के शुद्ध बुआई क्षेत्र का मूल्यांकन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि 55 प्रतिशत भाग पर अनाज उगाया जाता है। पिछले कई दिशकों से कृषि विविधता के कारण अब बागवानी का भाग 16 प्रतिशत और 512 मिलियन से अधिक पशु पालन करने वालों की संख्या है।

आर्थिक सूचक में यह बताया गया है कि कृषि के पिछे मानव पहलू अर्थात किसान की आय में वृद्धि न तो न्याय संगत है और न ही समतावादि दिखाई पडती है। इस कारण किसान अधिक उत्पादन और उत्पादकता के बाद भी लगातार परेशानियों से घिरे रहते हैं। इसिलिऐ किसान सरकारी खरीद और पर्याप्त लाभ की मांग कर रहे हैं।

इस रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि कृषि आर्थिक पद्धति किसी भी अच्छे परिवर्तन के लिऐ ढांचागत कमजोरियों को हटाना ही होगा। इन कमियों में संचालन सीमाऐं, निति नियंत्रण एवम् अप्रत्याशित परिवर्तन के समक्ष आधारभूत बाधाऐं और जलवायु परिवर्तन से पडने वाला प्रभाव। इन सभी का एक साथ समाधान करना होगा, न की एक–एक का। हमारा लक्ष्य उत्पादकता श्रेणी में परिवर्तन उन्नत स्रोतों का कुशल उपयोग और किसानों की उपजों का लाभकारी मूल्य देना होना चाहिऐ। किसानों की आय दोगुनी करने के लिऐ मूलभूत कमियों और समस्याओं का समाधान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि कृषि आय का अनुपात भूमि धारण करने के आकार से सीधा संबंध रखता है (वर्गीकरण जैसे मझौले और छोटे, मध्यम श्रेणी और अर्ध मध्यम श्रेणी तथा बडे किसान)। सिंचाई से आय का अनुपात 36.5 प्रतिशत (मझौले और छोटे) से बढकर 70.8 प्रतिशत (मध्यम और अर्ध मध्यम) तथा 85.5 प्रतिशत (बडे) किसान। पशुधन से आय का अनुपात 14.8 प्रतिशत (मझैले और छोटे), 11.5 प्रतिशत मध्यम और अर्ध मध्यम किसान तथा बडे किसान का 6.9 प्रतिशत तक कम हो चुका है। मजदूरी और वेतन से प्राप्त आय का अनुपात भी 37.5 प्रतिशत (मझौले और छोटे), 13 प्रतिशत (मध्यम और अर्ध मध्यम) तथा बडे के लिऐ 3.2 प्रतिशत तक कम हो चुका है। गैर कृषि व्यवसाय से प्राप्त आय का अनुपात कम होकर 7.2 प्रतिशत (मझौले और छोटे), 4.8 प्रतिशत (मध्यम और अर्ध मध्यम) और बडे के लिऐ 4.4 प्रतिशत रह गया है।

उन किसानों की समस्याओं पर भी ध्यान दिया जाऐ जिनके नाम पर भूमि के दस्तावेज हैं। इसका कारण है कि अधिकतम किसान ऐसे हैं जो किराऐदार के रूप में भूमि पर खेती, फसल

RNI No. 831/1957
पोस्टल रजि० DL (S)-01/3092/2018-20
पहले भुगतान किये बिना पोस्ट करने का लाइसेंस नं० U(C)-92/2018-20
प्रकाशन की तिथि : 1 अक्टूबर, 2019
नई दिल्ली पी.एस.ओ, नई दिल्ली–1,
तारीख 4 एवं 5, अक्टूबर 2019

की बंटाई पर खेती और भूमि को किराऐ पर देकर खेती करते हैं, जिस कारण उन्हें सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता। समिति का सुझाव है कि, एक किसान की परिभाषा को विस्तारित किया जाऐ ताकि वे भी किसानों से मिलने वाली आर्थिक सहायता और लाभ का उपयोग कर सकें। इसका अर्थ है कि ऐसी नीति तैयार की जाऐ की भूमि का वास्तिविक मालिक और उस पर कोई भी खेती करने वाला, दोनों के हित सुरक्षित रह सकें।

एक अनुकूल वेब–पोर्टल तैयार करने का सुझाव दिया गया है, ताकि इच्छुक और अलग–अलग किसान अपने किसान होने की वास्तविक स्थिति को अपलोड कर सकें और आवश्यक होने पर इसे अपडेट भी कर सकें। कृषि क्षेत्र में प्रकृति और उत्पादन जोखिम के साथ–साथ बाजार की अनिश्चिता की प्रमुख भूमिका है। मूल्य और मांग संबंधी सरकारी पूर्व सूचना से किसानों को लाभ मिल सकता है। रिपोर्ट में सुझाव है कि विपणन और निरिक्षण निदेशालय को मंडियों की सूचना एवम् मूल्य और मांग का पूर्व अनुमान लगाने का दायित्व सौंपा जाऐ।

ऐसा करने से कृषि मूल्य पद्धति अधिक समेकित, एकीकृत एवम् पारदर्शी बन सकती है तथा फस्लोपरांत प्रबंधन की जानकारी दी जाऐ, ताकि वे अपनी फसल का लिया गया ऋण चुका सकें अथवा उसके बदले में ऋण ले सकें।

किंतु जहां भी आवश्यक हो मूल्यों के उतार चढाव को सही करने के लिऐ लक्ष्य निर्धारित करके आयात को नियंत्रित किया जाऐ। विशेष जिंस का मूल्य अथवा उत्पादन के मानदंडों को भी निर्धारित करना आवश्यक है ताकि कृषि जिंसों के आयातक उस मांग के अनुसार अपना लक्ष्य निर्धारित कर सकें। इसमें अनुरोध किया गया है कि निर्यात को केवल मूल्य नियंत्रण तंत्र के रूप में ही प्रयोग न किया जाऐ बल्कि कृषि वृद्धि और अंतर्राष्ट्रीय मांग के अनुसार नियत किया जाऐ।

कृषि को सुधार की प्रकिया के अंतर्गत और इसे एक लाभकारी उद्योग बनाने के लिऐ कई ऐसे उपाय करने होंगे, जिनसे कृषि आय में वृद्धि हो, निश्चित समय में कार्यों की निगरानी हो और कृषि जिंसों की सारणी इस ढंग से तैयार की जाऐ ताकि मांग को पूरा किया जा सके और किसानों को भी उचित मूल्य मिले ताकि किसान भी उसी के अनुसार उत्पादन और विपणन निर्णय कर सके।

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

भारत कृषक समाज ए–1, निजामुद्दीन वेस्ट, नई दिल्ली– 110013, फोनः 011–24359509, 9667673186, ई–मेलः ho@bks.org.in, वैबसाईटः www.farmersforum.in के लिए श्री उरविन्द्र सिंह भाटिया द्वारा सम्पादित, मुद्रित व प्रकाशित तथा एवरेस्ट प्रेस, ई 49/8 ओखला इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेस –2, नई दिल्ली –110020 द्वारा मुद्रित।